न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

विरेन्द्र सिंह उर्फ विशनसिंह

बनाम

नारायणसिंह इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अर्जुनसिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 से 7 **(बावजूद सूचना अनुपस्थित)**
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 20

आदेश

दिनांक 02 जून 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 90/2014 अनवान विरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम नारायणसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 जून 2018 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 16 जून 2022 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी मौके पर खसरा संख्या 521 व 516 ग्राम हड़मान सागर तहसील औसियां पर काबिज काश्त चला आ रहा है। मौके पर उसकी पुरानी ढाणी इत्यादि बनी हुई है, जिसके विस्तार हेतु निर्माण करवाना चाहता है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का खातेदार होने के कारण अपीलार्थी को अपनी भूमि के उपयोग, उपभोग व प्रबन्ध करने का पूर्ण

	अधिकार प्राप्त है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट द्वारा केवल प्रतिवादीगण को पाबन्द करने की इस्तदुआ की गई थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त इस्तदुआ की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है, इसलिए आलौच्य आदेश आंशिक रूप से इस हद तक कि अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण मूल वाद के निस्तारण तक खसरा संख्या 521 व 516 की मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया जाना यानि संशोधित किया जाना आवश्यक है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि आगे बारिश को मौसम आ रहा है, इसलए अपीलार्थी अपने पूर्व स्थित मकान को आंशिक रूप से बढाकर निर्माण करना चाहता है, ताकि खेती के समय उसे छत मिल सके। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी निर्माण की छूट प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए अपीलार्थी को खेत में निवास की आवश्यकता है, इसलिये यह अपील प्रस्तुत करनी पड़ी है, जिसके लिये अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.06.2022 को नकल प्राप्त की तथा यह अपील तैयार करवाकर प्रस्तुत की है, जिसमें किसी तरह की कोई जानबुझकर देरी नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा जानबुझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की है तथा न ही अनुचित लाभ हेतु देरीना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स को अपीलाधीन आदेश से पाबंद किया जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध	

	अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 0 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को न्याय हित में माफ किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है। मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 514, 516, 519, 521, 523, 625 कुल रकबा 106.06 बीघा को अपनी पुश्तैनी भूमि बताते हुए वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में वादीगण के नाम 1/6 हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा है तथा मौके पर खसरा नंबर 521 एवं 516 की भूमि पर अपना कब्जा काश्त बताया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट का कथन है कि उसके द्वारा केवल अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का अनुतोष चाहा गया था। अपीलार्थी वर्तमान में अपने पूर्व में बने मकान को बढाकर निर्माण करवाने की छूट चाहता है ताकि बारिस के मौसम में खेती हेतु छत मिल सके। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी में खातेदार रामसिंह के नाम दर्ज भूमियों पर केवल रामसिंह का कब्जा काश्त न होकर उनके सभी भाईयों मगसिंह, डूंगरसिंह का भी कब्जा काश्त दर्शाया जाना प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। लिहाजा न्याय हित में अपीलांट को अपनें कब्जे काश्त की भूमि में पूर्व में बने आवास के पास/उपर ही मकान निर्माण की छूट प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में इस आशय की छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	

	उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 जून 2018 में अपीलांट को अपने कब्जे काश्त की भूमि में बने आवास पर/निकट में मकान निर्माण की छूट प्रदान की जाती है। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	